



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अप्रैल 2021—वैशाख 4, शक 1943

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2021

क्र. एफ-35-115-2006-सी-एक.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, प्रदेश के सिंगोलो, अलीगजपुर, आगर-मालवा एवं निवाड़ी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्रान्तिकरण का निम्नानुसार गठन करती है, अर्थात्:—

1. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, जिला पंचायत	सह-अध्यक्ष
3. महापौर, नगरपालिका निगम (जिले में नगरपालिका निगम होने की दशा में)	सह-अध्यक्ष
4. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
8. अपर जिला दण्डाधिकारी	सदस्य-सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. श्रीनिवास वर्मा, सचिव.